न्यायालय तहसीलदार, अजमेर

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती प्रीति चौहान, तहसीलदार अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 09/2017

श्री थावर बुलानी पुत्र झमटमल बुलानी जाति हिन्दू सिंधी निवासी बुलानी हाऊस, वैशाली नगर, अजमेर।

......अपीलान्ट

बनाम

1. श्री राम पुत्र छीतर
2. श्री नारायण पुत्र छीतर
3. श्री चतरा पुत्र छीतर
4. श्रीमती सुवा पुत्री छीतर
   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम घूघरा तहसील व जिला अजमेर।
5. श्री नाथू पुत्र रोडा जाति गुर्जर निवासी ग्राम घूघरा
6. श्री दयाल पुत्र रोडा
7. श्री मंगल पुत्र रोडा
8. गीता, कमला पुत्री छोटू

......रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थितः–

1. श्री थावर बुलानी, अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री ...., अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

आदेश

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

ग्राम घूघरा तहसील अजमेर के आराजी ख0न0 2982 रकबा 01–07–00 बीघा, ख0न0 2978 रकबा 01–06–00 जिसके नये ख0न0 2305 रकबा 0.22 है0, ख0न0 2297 रकबा 0.21 है के संयुक्त खातेदार छीतर, नाथू, छोटू, पुत्रगण रोडा थे। छीतर पुत्र रोडा की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 08.10.2011 द्वारा मृतक छीतर का 1/3 हिस्सा उनके वारिसान रेस्पो0 संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज होने के पश्चात् उनके द्वारा जरिये मुख्त्यारआम अपने हक हिस्से की प्रश्नगत आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपीलान्ट को बेचान की गई जिसके आधार पर स्वीकृत नामा0 संख्या 2216 दिनांक 23.11.2009 के द्वारा अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् सेटलमेंट दौरान भूमि मृतक खातेदार छीतर के नाम दर्ज होने से रेस्पो0 सं0 1 से 4 द्वारा पुनः विरासत का नामा0 सं0 232 दिनांक 05.03.2014 अपने पक्ष में स्वीकार करवाकर जमाबंदी सं0 2062–71 में पूर्व विक्रित प्रश्नगत आराजी भी अपने नाम दर्ज करवाकर अन्य सह खातेदारों से मिलकर एक सहमति का

तहसीलदार, अजमेर

Scanned with CamScanner

बंटवारे का दावा तहसीलदार (भू0अ0) अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 29.09.2014 खाता विभाजन का स्वीकार किया जिसमें अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रयशुदा ख0न0 2305 रकबा 0.22 है0 का 1/3 रेस्पो0 सं0 5 नाथू पुत्र रोडा गुर्जर के नाम तथा ख0न0 2297 रकबा 0.21 है0 का 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं0 6, 7, 8 के नाम बंटवारे में खातेदारी दर्ज करने के आदेश जारी कर दिया। इसी आदेश से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा एक अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर में अपील संख्या 38/2015 बउनवान थावर बुलानी बनाम श्रीराम पुत्र छीतर व अन्य प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2017 के द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये एवं पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपीलान्ट उपस्थित रहे रेस्पो0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है और अधिकांश रेस्पोडेंट ने नोटिस लेने से ही मना किया है। रेस्पोडेंट को सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान कर रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये, परन्तु रेस्पोडेंट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए है।

प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 06.01.2020 के अनुसार– माननीय न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर, अजमेर के प्र0स0 38/2015 उनवान थावर बुलानी बनाम राम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 की पालना में नामा0 सं0 438 दिनांक 10.10.2012 व पश्चात्वर्ती नामा0 464 दिनांक 22.10.2014 व 798 दिनांक 05.12.2017 (आंशिक) ओ0सी0ओ0 स्तर से निरस्त किये जा चुके है। उक्त नामा0 निरस्त होने के पश्चात् नामा0 सं0 943 दिनांक 12.12.2019 से नये खाता सं0 405, 404 कायम कर दिये गये है।

हमने प्रकरण का ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया – खाता सं0 404 में ख0न0 2297 रकबा 0.21 किस्म बारानी–2, ख0न0 2305 रकबा 0.22 किस्म बारानी–2 के 1/3 हिस्से की भूमि अपीलान्ट ने छीतर पुत्र रोडा के वारिसान रेस्पो0 संख्या 01 से 04 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई थी एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट का ही कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेंट द्वारा उक्त विषय में किसी प्रकार की चाराजोही/बहस नहीं की गई है और ना ही वे प्रकरण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि –खाता सं0 404 में ख0न0 2297 रकबा 0.21 किस्म बारानी–2, ख0न0 2305 रकबा 0.22 किस्म बारानी–2 के 1/3 हिस्से की भूमि में चतुर्भुज पुत्र छीतर हि0 1/9, नारायण पुत्र छीतर हि0 1/9 व श्रीराम पुत्र छीतर हि0 1/9 के स्थान पर अपीलान्ट श्री थावर बुलानी पुत्र झमटमल बुलानी जाति हिन्दु सिंधी निवासी बुलानी हाऊस, वैशाली नगर, अजमेर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना रिपोर्ट मय राजस्व रिकॉर्ड की प्रति के अविलम्ब प्रस्तुत करावें।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 6.2.2020 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार, अजमेर

तहसीलदार, अजमेर

Scanned with CamScanner